3

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 134/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/212

अपीलान्ट :–

1. चौथाराम पुत्र धीमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बारनाऊ तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।
2. अचलाराम पुत्र भानाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम करणीनगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार चामू द्वारा क्रमांक–राजस्व/2024/553 दिनांक 28.11.2024 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलान्ट की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री लाघूराम पूनिया (रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से)

आदेश

दिनांक : 30.01.2025

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश क्रमांक–राजस्व/2024/553 दिनांक 28.11.2024 को अपास्त करवाने हेतु दिनांक 09.12.2024 को पेश की गई है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 23.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 अचलाराम ने दिनांक 28.11.2024 को एक साधारण प्रार्थना–पत्र तहसीलदार चामू को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारनाऊ के खेत खसरा संख्या 150 रकबा 17.8952 हैक्टेयर में से आवागमन का रास्ता हमारे घरों तक चलता है। रास्ता बंद होने से हमारे घरों के स्कूल के बच्चे विद्यालय से वंचित हो रहे है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 150 के खातेदारों ने रास्ता पर कांटे डालकर रास्ता बंद कर दिया है। अतः मौके पर चल रहे रास्ते को खुलवाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार चामू ने पटवारी हल्का बारनाऊ से रिकॉर्ड व मौके की रिपोर्ट पत्रांक–राजस्व/2024/518 दिनांक 28.11.2024 से मंगवाई जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 28.11.2024 को मौका मय नक्शा तैयार कर तहसीलदार को पेश की, जिसके अनुसार ग्राम बारनाऊ के खसरा नम्बर 150

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4

तथा ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 172 पर से काफी वर्षो से चलायमान रास्ता चल रहा था, जिसे वर्तमान में मौके पर झाड़ियाँ डालकर अवरूद्ध कर दिया गया है, जिससे आवागमन में समस्या आ रही है। रास्ता खुलवाया जाना उचित है। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना व आई0 एल0 आर0 को पाबन्द किया जावे।

पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार चामू ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक–राजस्व/2024/556 दिनांक 28.11.2024 को पारित कर दिनांक 29.11.2024 को रास्ता खुलवाने की तिथि निश्चित की गई तथा 02 भू अभिलेख निरीक्षक व 2 पटवारीगण की एक टीम गठित की तथा टीम को मौके पर उपस्थित होकर बाधित अवरोध को हटाकर रास्ता बहाल करने हेतु आदेशित किया, जिसमें थानाधिकारी चामू को पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध करवाने हेतु तथा विकास अधिकारी चामू को संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गए।

3. तहसीलदार चामू के उक्त आदेश की पालना में टीम द्वारा दिनांक 29.11.2024 को ग्राम बारनाऊ के खसरा नम्बर 150 में मौके पर अवरूद्ध रास्ते को रूबरू मौतबिरान खुलवाया गया तथा रास्ते को चलने योग्य चालू करवाया, जिसकी फर्द मौका की प्रति संलग्न अपील पेश की है।

4. तहसीलदार चामू के उक्त आदेश दिनांक 28.11.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की है, जिसमें कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मनमाना, विधिविरूद्ध, क्षेत्राधिकारिता से परे, एक पक्षीय विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है तथा अपीलान्ट को आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि का खसरा संख्या नहीं लिखा है तथा उसे प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमों के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को अपील निस्तारण तक स्थगित करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि अपीलान्ट खातेदारी भूमि में से अपीलान्ट को जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा है तथा जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे है, जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के पक्ष में है।

अपीलान्ट के इस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 16.12.2024 को आगामी पेशी तारीख 08.01.2025 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर मौके पर खसरा नम्बर 150 में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं खोलने हेतु प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया गया तथा जरिये सम्मन प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष पेश करने हेतु तलब किया गया।

6. प्रत्यर्थी संख्या 02 अचलाराम की ओर से श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश किया तथा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश [illegible] 4 सी0 पी0 सी0 पेश कर दिनांक 16.12.2024 को [illegible] आदेश [illegible] प्रभावोन्मुक्त व अपास्त करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2024 को तहसीलदार चामू के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:05 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5

उसने खसरा नम्बर 150 में रास्ते को बंद नहीं किया है तथा रास्ता बंद करने की शिकायत झूठी है, रास्ता मौके पर खुला है। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करावें। प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली की गई। फिर भी स्थगन प्रार्थना–पत्र में जबरदस्ती से रास्ता खोलने की बात लिखी है। इनका यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 150 में से होकर आगे जाने हेतु परम्परागत रास्ता चल रहा है, जिसको बदनियती से खसरा नम्बर 150 की माठ पर कांटे डालकर बंद कर दिया, तब उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करके अपीलाधीन आदेश के द्वारा अवरूद्ध रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया, उक्त आदेश को मौके पर अपीलार्थी ने सहमति दी है एवं उक्त सहमति के पश्चात् यह अपील पेश की है, जो चलने योग्य नहीं है तथा एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है, जिसे प्रभावोन्मुक्त किया जाकर आदेश अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 02 का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त रास्ता परम्परागत रूप से 100 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है, जिसका उपयोग–उपभोग करने का प्रत्यर्थी संख्या 02 को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसे अपीलान्ट को प्रत्यर्थी संख्या 02 की सहमति के बिना बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पारम्परिक रास्ता है जिसे खुलवाया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रत्यर्थी संख्या 02 को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

7. उभयपक्षों की सहमति से अपील को मेरिट पर निस्तारण करने के लिए विस्तृत बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 02 ने, जो प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.11.2024 को तहसीलदार को पेश किया उसमें, उसने अपने खेत का खसरा नम्बर भी नहीं लिखा है। रास्ता बन्द किया है तो उसे धारा 251 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र पेश करना चाहिए था, परन्तु ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र पेश ही नहीं किया है तथा साधारण अस्पष्ट दो पैरा की अर्जी दिनांक 28.11.2024 पर ही पटवारी हल्का से 28.112024 को ही मौका रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 28.11.2024 को ही अपीलान्ट को सुने बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिनांक 29.11.2024 को ही खसरा नम्बर 150 में से नया रास्ता खुलवाया गया, जो विधि प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है तथा तहसीलदार का आदेश तानाशाह से कम नहीं है। खसरा संख्या 167 प्रत्यर्थी संख्या 02 अचलाराम का है। अपीलान्ट के विद्वान वकील का यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने प्रकरण संख्या 70/2021 में दिनांक 07.12.2021 को आदेश पारित कर ग्राम केसरियांकवर नगर व करणीनगर के खसरा नम्बर 196, 193, 186, 165, 164, 163, 161, 167, 160 व 158 में से चल रहे रास्ते का रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया हैं।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 26/2021 में [illegible].11.2021 को उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने ग्राम बारनाऊ के खसरा [illegible] 15[illegible] 52, 153, 154, 156, 155/6, 155/1, 92/2, 92/1, 93/4, 93/6, [illegible], 93/8 व 94/6 में चालू रास्ते को रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया है परन्तु अपीलान्ट के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 14:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नम्बर 150 में से कोई पुराना रास्ता नहीं होने तहसीलदार ने न तो रिपोर्ट पेश की तथा न ही कोई आदेश पारित हुए है। इसी कारण से प्रत्यर्थी संख्या 02 ने यह अपील दिनांक 16.12.2024 को पेश करने के बाद एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251–अ के तहत पेशकर खेत खसरा संख्या 170 में से होते हुए 172, 174, 181, 184, 187 के माठ के सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता डी0 एल0 सी0 दर से स्वीकृत करने की मांग की है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 150 में से परम्परागत रूप से सुखाधिकार का कोई रास्ता नहीं चलता है, इसी कारण धारा 251 के तहत सुखाधिकार के आधार पर कोई प्रार्थना–पत्र पेश ही नहीं किया है तथा तानाशाही तरीके से बलपूर्वक अवैध तरीके से अपीलान्ट की भूमि पर से जोर जबरदस्ती से रास्ता निकालना चाहते है, इसी कारण तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके एक तरफा अपीलाधीन आदेश जारी करवाकर रास्ता खुलवाना चाहते है, जो कतई कानूनी प्रक्रिया का भाग नहीं हो सकता। अतः आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 02 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.11.2024 को पेश प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश से पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त की, जिसके अनुसार मौके पर कांटे डालकर खसरा नम्बर 150 में रास्ता बंद पाया गया। तहसीलदार ने दिनांक 28.11.2024 को रास्ते खोलने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में दिनांक 29.11.2024 को मौके पर खसरा नम्बर 150 में रास्ता खुलवाकर पुनः चालू किया गया परन्तु स्थगन आदेश दिनांक 16.12.2024 के बाद रास्ता पुनः बन्द है। अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2024 को अर्जी देकर रास्ता बन्द नहीं करने की बात कही है तथा रास्ता बन्द की बात को झूठी बताया है। अतः रास्ता का प्रकरण अपीलान्ट के संज्ञान में है उसने मौके पर एतराज नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि मौके पर परम्परागत रास्ता चालू है तथा अपीलान्ट को सुना गया। यदि प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा पुनः सुनवाई तक रास्ता चालू रखा जावे।

9. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 02 की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 28.11.2024 के आदेश को चुनौती दी है इस प्रकार न्यायालय को फैसला देना है दिनांक 29.11.2024 की रास्ता खोलने की फर्द पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है अपीलान्ट ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी है कि उसने रास्ता बन्द नहीं किया है। खसरा नम्बर 150 में से कोई रास्ता कदीमी रूप से नहीं चलता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों पर गहनता से अध्ययन कर उनका विधिक व तथ्यात्मक दृष्टि से विवेचन किया, हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है:–

(अ) प्रकरण के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए यह तथ्य पाया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार चामू ने दिनांक 28.11.2024 को पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कर दिनांक 28.11.2024 को अपीलाधीन जो आदेश एकतरफा पारित किया है, वह विधि प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है तथा अपीलान्ट के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा आदेश दिनांक 28.11.2024 की आड़ में दिनांक 29.11.2024 को मौके पर रास्ता अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 150 में से बलपूर्वक चालू करवाने का कृत्य भी विधि प्रावधानों का उल्लंघन करने की तारीफ में आता है।

(ब) प्रत्यर्थी संख्या 02 ने दिनांक 28.11.2024 को एक साधारण आधा पेज की लिखित अर्जी पेश की है, जिस पर तहसीलदार ने एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूर्ण कर अगले दिन मौके पर खसरा नम्बर 150 में से रास्ता खुलवा दिया, जो पद का दुरूपयोग है। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2024 किस विधि के किस प्रावधान के तहत पारित किया है, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है तथा ना ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस बाबत कोई जिक्र है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 4 व दौराने बहस यह कथन किया है कि उनका विवादग्रस्त प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में हमने धारा 251 संबंधी प्रावधानों का अवलोकन किया, तो पाया कि धारा 251 से संबंधित प्रार्थना पत्र का न्याय निर्णयन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 207, 214, 215 व 217 के प्रयोजनार्थ, एक्ट के संलग्न अनुसूची संख्या III के भाग II के आईटम संख्या 81 अनुसार संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाता है, जो रास्ते व अन्य निजी सुखाधिकार के अधिकार के निर्धारण से संबंधित है। टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत दावों व प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अधिनियम की धारा 208 के प्रावधान अनुसार सिविल प्रोसीजर कोड (सी.पी.सी.) के समस्त प्रावधान कुछ अपवादों/रूपान्तरणों के छोड़कर लागू होते है। इसी प्रकार राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली का नियंत्रण राजस्व न्यायालय मेन्युल के प्रावधानों अनुसार किया जाना है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतर्वस्तु व प्रारूप को देखा जाये तो इसे विधिक दृष्टि से प्रार्थना पत्र माना ही नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त तहसीलदार ने आंखे मूंदकर न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी कर एक तरफा बिना विधिक प्रावधानों का उल्लेख किए अपीलाधीन आदेश एक ही दिन में पारित कर दिया, जो किसी भी दृष्टि से यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। धारा 251 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधि प्रावधानों में वर्णित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जा सकता है, जिसमें प्रभावित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण है। सुनवाई का अधिकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का अभिन्न अंग है; (Audi Alteram partem). परन्तु तहसीलदार ने कानून की सारी सीमाएं लांघकर एक ही दिन में पूर्ण न्याय कर न्याय की हत्या ही कर दी (justice hurried is justice buried) की कहावत को चरितार्थ कर दिया।

(स) प्रशासनिक मामलों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना अपेक्षित है, परन्तु हस्तगत प्रकरण तो न्यायिक मामला है जिसमें विधि के सभी समुचित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी आवश्यक है। अतः उक्त विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:05 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रावधानों के दृष्टिगत तहसीलदार चामू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः राजस्व/2024/553 दिनांक 28.11.2024 यथावत रखने योग्य नहीं है तथा अपास्त योग्य है।

(द) प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक दृष्टि से प्रार्थना पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अतः जिस रूप में यह पेश किया है, वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 251 के तहत न्यायालय द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है। अगर प्रत्यर्थी संख्या 2 धारा 251 के तहत कार्यवाही करना चाहता है, तो वह विधिक प्रावधानों के तहत नये सिरे से नया प्रार्थना पत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र तहसीलदार चामू को पेश करने हेतु स्वतंत्र है, जिस पर तहसीलदार द्वारा इस निर्णय में दिये गये ऑब्जर्वेशनों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कानूनी प्रावधानों के तहत उसका निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। रास्ते की Necessity को देखते हुए शीघ्र सुनवाई की जा सकती है।

आदेश

अतः उपर्युक्त निष्कर्षों व विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश क्रमांकःराजस्व/2024/553 दिनांक 28.11.2024 को प्रारम्भतः अवैध (Ab-initio-void) घोषित किया जाता है तथा परिणामतः उक्त अवैध आदेश की पालना में की गई पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियां भी अवैध होने से उन्हे भी अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाता है तथा अवैध कार्यवाहियों से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार, हक, स्वत्व या आधिपत्य का सृजन नहीं होगा।

उक्तानुसार अपील का निस्तारण होने से अपीलान्ट द्वारा अपील सलंग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से निस्तारित किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 मूल अपील का निस्तारण होने से सारहीन व बलहीन होने से उपरोक्त विवेचनानुसार अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति तहसीलदार चामू को भेजी जावे।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को लिखाए जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 16:56:05 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर